सहायक कलेक्टर कोर्ट
बाप

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 129/2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2025/320
दायर दिनांक :– 12.06.2025 निर्णय दिनांक :– 21.07.2025

1. भीखाराम पुत्र चान्दाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. मांगीदेवी पत्नी पूनाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी

—**प्रार्थीगण**

बनाम

1. लाधूराम पुत्र चान्दाराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. पप्पूराम पुत्र लाधूराम जाति विश्नोई निवासी केलनसर तह. घंटियाली जिला फलोदी

—**अप्रार्थीगण**

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–**1.** श्री करणीसिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. अप्रार्थी सं. 2

—:: निर्णय ::—

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय से पेश किया है प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है। उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की सह काश्तकारी की भूमि खसरा नम्बर 568 रकबा 6.9282 हैक्टेयर ग्राम सुथारानाडा पटवार हल्का अजासर तहसील घंटियाली में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 2 का 139/642 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 2 का 25/214 हिस्सा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण मौके पर अपने अपने हिससे व बहामी बंटवाड़ा के कब्जा काश्त अनुसार अलग अलग काश्म करते आ रहे है और प्राकृतिक पैदावार का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। वादग्रस्त काश्त भूमि का आपसी सहमति से हो रखे बाहामी बटवाड़ा का प्रार्थीगण आपसी सहमति से मौके पर हो रखे बटवाड़ा के माफिक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस में बंटवाड़ा करवाने के हकदार है। अप्रार्थीगण पूर्व से चले आ रहे बहामी बंटवाड़ा के माफिक कर रखी तारबंदी को तोड़फोड़ कर प्रार्थी की अलग से तारबंदी से घेर रखी भूमि पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने पर आमादा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देने पर प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी, जिसका

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मूल्यांकन रूपयो में आंका जा सकेगा। प्रार्थीगण दावेदार है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता राजेन्द्रसिंह सौंलकी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

प्रथम दृष्टया मामला

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

ग्राम सुथारानाडा पटवार हल्का अजासर तहसील घंटियाली के खाता संख्या 105 सम्वत् 2075–78 की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण अभिलिखित सह खातेदार है। प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण के मध्य न्यायालय हाजा में वाद अन्तर्गत 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार है। संयुक्त काश्तकारी के चलते भूमि के प्रत्येक इंच पर प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण का अधिकार है। प्रत्येक के पास कृषि भूमि का कौनसा विशिष्ट भू–भाग होगा, इसका निर्धारण वादपत्र के निस्तारण के पश्चात ही किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र और जवाब प्रार्थना पत्र के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर विवाद की स्थिति है। अभिलिखित काश्तकार होने, वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जैरकार होने के चलते प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना और जवाब प्रार्थना, जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण और अप्रार्थीगण अभिलिखित सहकाश्तकार है, चूंकि प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुआ है। अतः

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

न्यायालय के अभिमत में प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा हो सकती है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'नतिजक क्षति' से है जिसकी पूर्ति मुआवजे के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थीगण का दावा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हुये है। अतः न्यायालय के हस्तक्षेप न करने के परिणामस्वरूप अनुतोष ईप्सित करने वाले प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण मूल वाद का निस्तारण होने तक अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

-आदेश-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि अस्थाई व्यादेश इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि ग्राम सुथारनाडा पटवार हल्का अजासर तहसील धंटियाली के खसरा नम्बर 988 रकबा 6.9282 हैक्टेयर भूमि में मौके की यथास्थिति बनायें रखे जाने हेतु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है तथा नलकूप स्थापित किये जाने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। पत्रावली इसी कदर निर्णय शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

(... पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)